उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-02

संख्या 1559/47 का 3--09-3-18-98

लखनऊ, दिनांक 25 सितम्बर, 2009

अधिसूचना संख्या 1233/79–वि–1–09 (क) 25 2009 दिनांक 27 अगस्त, 2009 के द्वारा प्रख्यापित उ०प्र० सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) अधिनियम, 2009 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

6–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7–मा० मंत्रिगणों के सूचनार्थ उनके निजी सचिवं को।

8–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9–नेता विरोधी दल, विधान सभा/विधान परिषद।

आज्ञा से,

अश्वनी कुमार सिंह,

विशेष सचिव।

क्रम संख्या 309

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2008-10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 अगस्त, 2009

भाद्रपद 5, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1233/79-वि-1–09-1(क)25-2009

लखनऊ, 27 अगस्त, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखंडन) विधेयक, 2009 दिनांक 26 अगस्त, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) अधिनियम, 2009

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2009)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 का आरम्भ से विखण्डन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

परिभाषाएं

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,—

(क) "आमेलन नियमावली" का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना संख्या 3/4/90 कार्मिक 2—91, दिनांक 9 मई, 1991 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 से है;

(ख) "सार्वजनिक निगम" का तात्पर्य, किसी विश्वविद्यालय या स्थायी स्वायत्त शासन के प्रयोजन के लिए गठित स्थानीय प्राधिकरण के सिवाय, उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी निगमित निकाय से है, और उसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई ऐसी सरकारी कम्पनी सम्मिलित है, जिसमें राज्य सरकार का प्रचुर हित हो।

(ग) "विखण्डन नियमावली" का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना संख्या 874/का—3—2003—3/18—98, दिनांक 8 अप्रैल, 2003 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (विखण्डन) नियमावली, 2003 से है;

(घ) "छंटनीशुदा कर्मचारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो 1 अक्टूबर, 1986 को या उसके पूर्व पद पर भर्ती के लिए दी गई प्रक्रिया के अनुसार सरकार या किसी सार्वजनिक निगम के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया था और यथास्थिति, सरकार या सार्वजनिक निगम के किसी अधिष्ठान में कमी किये जाने या उसका परिसमापन किये जाने के कारण अपनी छंटनी के दिनांक तक सरकार के या ऐसे निगम के अधीन किसी पद पर निरन्तर कार्य कर रहा था और जिसके सम्बन्ध में उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो;

विखण्डन और व्यावृत्ति

3—(1) आमेलन नियमावली, जिसे विखण्डन नियमावली द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2003 से विखण्डित किया गया था, को विखण्डित कर दिया जायेगा और दिनांक 9 मई, 1991 को विखण्डित की गई समझी जाएगी और ऐसे विखण्डन के फलस्वरूप,

(क) छंटनीशुदा कर्मचारियों का, सिवाय उनके जिनका आमेलन दिनांक 9 मई, 1991 से 8 अप्रैल, 2003 तक की अवधि के दौरान हो गया था, उक्त आमेलन नियमावली के अधीन या तत्सम्बन्ध में जारी किन्ही सरकारी आदेशों के अधीन आमेलन सम्बन्धी उनका अधिकार समाप्त हुआ समझा जायेगा;

(ख) किसी विशिष्ट सरकारी विभाग या सार्वजनिक निगम के छंटनीशुदा कर्मचारियों के लिए आमेलन के प्रतिमान विहित करने और वेतन संरक्षण सहित पारिणामिक प्रसुविधाओं को प्रदान करने से सम्बन्धित समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेश आरम्भ से प्रतिसंहृत हो जायेंगे।

2—ऐसे विखण्डन के होते हुए भी,—

(क) आमेलन नियमावली के उपबन्धों के अधीन दिनांक 8 अप्रैल, 2003 के पूर्व आमेलित छंटनीशुदा कर्मचारियों को प्रदान की गयी आमेलन सम्बन्धी प्रसुविधा वापस नहीं ली जाएगी।

(ख) दिनांक 8 अप्रैल, 2003 से पूर्व आमेलित छंटनीशुदा कर्मचारियों को प्रदान की गयी वेतन संरक्षण की प्रसुविधा भी संरक्षित रहेगी।

(ग) आमेलन नियमावली द्वारा आच्छादित कोई छंटनीशुदा कर्मचारी, जिसे दिनांक 8 अप्रैल, 2003 तक आमेलित न किया गया हो, ऐसे समूह "ग" और समूह "घ" के पद, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के हों, पर सीधी भर्ती के लिए, उच्च आयु सीमा मे उस सीमा तक शिथिलता प्राप्त करने का हकदार होगा, जितनी उसने सम्बन्धित सरकारी विभाग या सार्वजनिक निगम में मौलिक हैसियत से पूर्ण किये गये वर्षों तक निरन्तर सेवा की हो।

विखण्डन

4—विखण्डन नियमावली विखण्डित कर दी जायेगी और दिनांक 8 अप्रैल, 2003 से की गयी समझी जायेगी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों के आमेलन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 बनाई गयी थी। सरकार या सार्वजनिक निगमों के ऐसे बहुत से कर्मचारियों ने जिन्हें छंटनीशुदा नहीं घोषित किया गया था उक्त नियमावली के अधीन समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदों पर अपने आमेलन हेतु रिट याचिकायें दायर की थीं। शासन की नीति के अनुसार ऐसे छंटनीशुदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर आने वाले पदों पर आमेलित किये जाने के लिए पात्र नहीं थे। कालान्तर में उक्त नियमावली के अधीन लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर आने वाले पदों पर ऐसे कर्मचारियों के आमेलन की समस्या गंभीर होती गयी। अतएव उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 को उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (विखण्डन) नियमावली, 2003 द्वारा विखण्डित कर दिया गया।

सन् 2003 के उपर्युक्त नियमावली के प्रकाशित होने के पश्चात् भी राज्य सरकार को न्यायालय में दायर की गयी याचिका में राहत नहीं मिली। चूंकि उपर्युक्त नियमावली के उपबन्धों को राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करना आवश्यक हो गया है, अतः यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 को आदितः विखण्डित करने की व्यवस्था करने के लिए विधि बनायी जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 1233(2)/LXXIX-V-1-09-1(ka)25-2009
Dated Lucknow, August 27, 2009

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of the Uttar Pradesh Sarkar ya Sarvajanik Nigamon Ke Chhtanisihuda Karmchariyon Ka Sarkari Seva Men Aamelan (Niyamavali Ka Vikhandan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 26 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 26, 2009:–

THE UTTAR PRADESH ABSORPTION OF RETRENCHED EMPLOYEES OF GOVERNMENT OR PUBLIC CORPORATIONS IN GOVERNMENT SERVICE (RESCISSION OF RULES) ACT, 2009

U.P. Act No. 26 of 2009

(As passed by the Uttar Pradesh legislature)

AN

ACT

to provide for rescission ab-initio of the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service Rules, 1991 and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service (Rescission of Rules) Act, 2009. Short title

Definitions

2. In this Act, unless the context therewise requires,–

(a) "Absorption Rules" means the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service Rules, 1991 published in Government notification no. 3/4/90Karmik-2-91, dated May 9, 1991.

(b) "Public Corporation" means a body corporate established or constituted by or under any Uttar Pradesh Act except a University or local authority constituted for the purpose of local self Government and includes a Government company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956 in which the State Government has pre pondering interest.

(c) "Rescission Rules" means the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service (Rescission) Rules, 2003 published in Government notification no. 874/ka-3-2003-3/18-98, dated April 8, 2003.

(d) "retrenched employee" means a person who has appointed to a post under the Government or a public corporation on or before October 1, 1986 in accordance with the procedure laid down for recruitment to the post and was continuously working in any post under the Government or such corporation upto the date of his retrenchment due to reduction in, or winding up of, any establishment of the Government or the public corporation, as the case may be, and in respect of whom a certificate of being a retrenched employee has been issued by his appointing authority.

Rescission and savings

3. (1) The Absorption Rules which was rescinded with effect from April 8, 2003 by the Rescission Rules shall be rescinded and be deemed to have been rescinded on May 9, 1991 and consequent upon such rescission,–

(a) the retrenched employees except those who were absorbed during the period from May 9, 1991 to April 8, 2003 shall have no claim with regard to their absorption under the said absorption rules or under any Government orders issued in regard thereto and their right regarding absorption accrued under the absorption Rules shall be deemed terminated;

(b) the orders of the Government issued from time to time prescribing the norms of absorption for retrenched employees of a particular Government Department or Public Corporation in Government Service and granting of consequential benefits including pay protection shall stand revoked *ab-initio*.

(2) Notwithstanding such rescission,–

(a) the benefit of absorption provided to the retrenched employees absorbed before April 8, 2003 under the provisions of the Absorption Rules, shall not be withdrawn;

(b) the benefit of pay protection granted to the retrenched employees absorbed prior to April 8, 2003 shall also be maintained;

(c) a retrenched employee covered by the Absorption Rules, but who has not been absorbed till April 8, 2003 shall be entitled to get relaxation in upper age limit for direct recruitment to such Group 'C' and Group 'D' posts which are outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission to the extent he has rendered his continuous services in substantive capacity in the concerned Government Department or the Public Corporation in completed years.

4. The Recission Rules, shall be rescinded and be deemed to have been rescinded on April 8, 2003.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

For the absorption of retrenched employees of Government or public corporations the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service Rules, 1991 was framed. Many employees of the Government or Public Corporations who had not been declared as retrenched employees filed writ petitions for their absorption under the said rules in Group 'A' and Group 'B' posts. According to the Government policy, such retrenched employees were not eligible to be absorbed in posts falling within the perview of the Uttar Pradesh Public Service Commission. During the course of time the problem of absorption of such employees under the aforesaid rules on posts falling within the perview of the Uttar Pradesh Public Service Commission grew acute. The Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service Rules 1991 were, therefore, rescinded *vide* the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Sector Corporations in Government Service (Rescission) Rules, 2003.

The State Government did not get relief in the writ petitions in the court even after publication of the aforesaid rules of 2003. Since it has become necessary to replace the provisions of the aforesaid rules of 2003 by an Act of the State Legislature, it has, been decided to enact a law to provide for the rescission *ab-initio* of the Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service Rules, 1991.

The Uttar Pradesh Absorption of Retrenched Employees of Government or Public Corporations in Government Service (Rescission of Rules) Bill, 2009 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए० पी०--13 सा० नियुक्ति--21.10.2009--(1393)--2,000--(कम्प्यू० / टी / आफसेट)।